

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 03/2022 – सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2022

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 11/2018 – सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018, जो संख्यांक सा.का.नि. 114 (अ) तारीख 2 फरवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा: -

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,

I. स्तंभ (2) में क्रम संख्यांक 1 के सामने

- (i) "0802 32 00," अंकों के पश्चात् "0802 91 00, 0802 92 00, 0802 99 00," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) "1502," अंकों के पश्चात् "1509 90, 1510 90," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) "2515 12 20," अंकों के पश्चात् "2515 12 90, 2516 11 00, 2516 12 00," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (iv) "5113," अंकों के पश्चात् "5208 39," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (v) "5208 59," अंकों के पश्चात् "5209 31, 5209 32, 5209 39," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (vi) "5209 43," अंकों के पश्चात् "5209 49," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (vii) "5209 59," अंकों के पश्चात् "5210 39," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (viii) "5210 59," अंकों के पश्चात् "5211 31, 5211 32, 5211 39," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ix) "5211 43," अंकों के पश्चात् "5211 49," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (x) "5407 54," अंकों के पश्चात् "5407 61," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (xi) "5516 14," अंकों के पश्चात् "5516 22 00, 5516 23 00," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

जाएंगे;

- (xii) "5802 19," अंकों के पश्चात् "5802 30 00," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (xiii) "6001 92 00, 6101 20 00, 6101 30, 6102 10 00, 6102 20 00, 6102 30, 6104 19 (ऊन या जानवरों के फाइन बाल या कपास के सिवाय)," अंकों का लोप किया जाएगा;
- (xiv) "6104 62 00, 6104 63 00," अंकों का लोप किया जाएगा;
- (xv) "6201 30, 6201 40," अंकों का लोप किया जाएगा;
- (xvi) "6202 30, 6202 40," अंकों का लोप किया जाएगा;
- (xvii) "6203" अंकों के स्थान "6203 22 00, 6203 23 00, 6203 29, 6203 41 00, 6203 42" अंक रखे जाएंगे;
- (xviii) "6204 11 00, 6204 13 00, 6204 19, 6204 31, 6204 32 00, 6204 33 00, 6204 39," अंकों का लोप किया जाएगा;
- (xix) "6204 69," अंकों का लोप किया जाएगा;

II. क्रम संख्या 3, 4 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 11/2018 - सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018, जो संख्यांक सा.का.नि. 114 (अ), तारीख 2 फरवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, और अधिसूचना संख्यांक 58/2021- सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021, द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था, जो संख्यांक सा.का.नि. 907 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2021, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी ।